न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
396 / 2001	03-04-2001	06/11/2020

उनवान

01. मदनलाल उम्र करीब 30 साल
02. हरिसिंह उम्र करीब 28 साल
03. रतन उम्र करीब 25 साल
04. रोहताश उम्र करीब 20 साल पुत्रान रूपचन्द जाति जाटव निवासी जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादीगण

बनाम

01. महमूद उम्र 38 साल
    1/1 मु. नापीला बेवा महमूद
    1/2 साबिर पुत्र महमूद
    1/3 टेढा पुत्र महमूद नाबालिगान जर्ये सरपरस्त माता
02. इनामुदीन उम्र 28 साल
03. अख्तर उम्र 23 साल
04. रुलूप उम्र 19 साल पुत्रान पप्पी
05. रसीद पुत्र पप्पी नाबालिग जर्ये सरपरस्त भ्राता
06. दीना पुत्र हन्नू उम्र 38 साल
07. सूरजमल उम्र 50 साल
08. बन्दर उम्र 45 साल
09. चांदा उम्र 40 साल
10. सूका उम्र 35 साल
11. बहरा उम्र 33 साल
12. खिडडी उम्र 28 साल पुत्रान छुटला
13. शेरमोहम्मद उम्र 35 साल
14. जुहरू उम्र 32 साल
15. इलियास उम्र 28 साल
16. अलीशेर उम्र 25 साल
17. दलशेर उम्र 22 साल

18. प्रेम उम्र 19 साल पुत्रान बम्मू
19. उमर मोहम्मद उम्र 30 साल पुत्र गत्तू
20. हुकम उम्र करीब 48 साल
21. रहमान उम्र 45 साल पुत्रान हयात कोम मेव साकिन जैरोली तहसील तिजारा
———: असल प्रतिवादीगण

22. श्योराम उम्र 55 साल पुत्र बदल
23. मूलचन्द उम्र 50 साल
24. मानसिंह उम्र 45 साल पुत्रान बदल जाति जाटव निवासी जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
———: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुक्मईम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इस्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 19 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम आंधाका तहसील तिजारा जिसके हाल खसरा नम्बर 1/359 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 14 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बने है। विवादित आराजी मृतक बदल पुत्र गोपाल जटया जैरोली को गैरखातेदारी पट्टे की कब्जा काश्त की आराजी थी जिसके नाम का अमल राजस्व रिकार्डस में नियमानुसार हो रहा है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी संवत् 2014 व 2018 संलग्न है तथा बदल के नाम का मुताबिक मौका कब्जा काश्त के खसरा गिरदावरी में काश्त का अमल हो रहा है। उक्त बदल पुत्र गोपाल जटया का देहान्त हो चुका है कि जिसके हम वादीगण वो तरतीबी प्रतिवादीगण जायज वारिसान है विवादित आराजी पर मृतक बदल अपने जीवन काल में बतौर पट्टेदार गैरखातेदार काबिज वो दाखिल रहा और उसके मरने के बाद हम वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौका पर वास्तविक कब्जा है लगान दे रहे है। हम वादीगण की मौका पर बोई हुई फसल बाजरा ज्वार खडी हुई है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण असल का या उनके बुर्जुगान का कभी किसी प्रकार का कोई सरोकार वो संबंध नहीं रहा है ना कभी कब्जा रहा है। ना ही हम हरीजनों की आराजी पर प्रतिवादीगण असल को कोई किसी प्रकार के अधिकार या कब्जा ही कानूनन मिलता है किन्तु प्रतिवादीगण असल के पिताओं ने भू प्रबन्धक विभाग व राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर खिलाफ मौका कब्जा काश्त वो विपरित रिकोर्डस ऑफ राइटस के अपने नाम का अमल कराकर जमाबन्दी 2029 में गैर खातेदारी का अमल करा लिया कि जो सरीहन खिलाफ मौका कब्जा काश्त वो विपरित रिकोर्डस ऑफ राइटस व खिलाफ कानून न्याय नियम व प्राकृतिक न्याय नियमों के विपरित है। और इस गलत अमल के ताबे प्रतिवादीगण असल को कोई किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं होते है। अतः हम वादीगण स्वयं को विवादित आराजी के गैरखातेदार करार दिलाने व इसी कदर जमाबन्दी 2029 ताहाल में दुरुस्ती कराकर अपने नाम का अमल कराने के अधिकारी है और अपने हकूकों की रक्षार्थ वाद प्रस्तुत है। दावा के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज संलग्न किये।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के ें शपथ पत्र दौलतराम पुत्र अमीचन्द, मदनलाल पुत्र रूपचन्द, महावीर पुत्र हरभजन वाके ग्राम जैरोली ने पेश जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र शमशेर पुत्र मिट्टू, बंशी पुत्र छोटू, ीर पुत्र बब्बू जाति मेव निवासी जैरोली तहसील तिजारा पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस के ! प्रतिवादी वकील ने दिनांक 10.12.2019 को उक्त प्रकरण में स्वयं के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए वेदन किया गया। जिसके पश्चात वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया व इस पर मनन किया।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 1/359 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 14 कबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर वादीगण के 1/4 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण के 1/4 – 1/4 हिस्सा ीरखातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है प्रतिवादीगण के नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

K 26/11/2020

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)